भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5444

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

तटीय राजमार्ग

5444. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के तटीय क्षेत्र में प्रत्येक परियोजना का मार्ग संरेखण, लंबाई और अनुमानित लागत क्या है और नियोजित और निर्माणाधीन तटीय राजमार्गों का गुजरात सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) तटीय राजमार्ग परियोजनाओं की पर्यावरणीय सततता और सामाजिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और प्रभावित समुदायों का पुनर्वास शामिल है;

(ग) तटीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में कितनी निधि का आवंटन किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा तटीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) तटीय राजमार्ग परियोजनाओं का तटीय क्षेत्रों, विशेषकर गुजरात राज्य के आर्थिक विकास, पर्यटन और कनेक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और अनुरक्षण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य यातायात की सघनता, सड़क की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता, निधियों की उपलब्धता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर किया जाता है।

वर्तमान में देश में मुख्य भू-भाग के तटीय क्षेत्र तक सुगमता और संपर्कता में सुधार के लिए 1,025 किलोमीटर लंबाई में 65,111 करोड़ रुपये की लागत की 27 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। गुजरात राज्य सहित इन परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (यूटी) विवरण अनुबंध में संलग्न है।

इसके अलावा, सरकार ने मुख्य भू-भाग के तटीय क्षेत्र तक संपर्कता में सुधार के लिए 890 किलोमीटर लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य शुरू किया है, जिसमें गुजरात राज्य में नारायण सरोवर से नलिया तक 67 किलोमीटर का लंबा खंड और पिपलिया से मालिया तक 30 किलोमीटर का लंबा खंड शामिल है।

(ख) पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन तथा शमन उपाय तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का हिस्सा हैं। इसके अलावा, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं की योजना पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) सिद्धांतों के अनुरूप बनाई गई है। सरकार द्वारा विकसित डीपीआर मॉड्यूल टूल, गतिशील भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्लेटफॉर्म आधारित पीएम गति शक्ति एनएमपी पोर्टल में उपलब्ध सुविधाओं के साथ-साथ एनएच परियोजना संरेखण को अनुकूलित करने और मौजूदा वास्तविक/भौगोलिक विशेषताओं, वन क्षेत्रों, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों आदि से संबंधित सूचनाओं पर विचार करते हुए परियोजनाओं की योजना बनाने, पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने, मंजूरी की आवश्यकताओं और तीव्र तथा अधिक प्रभावी परियोजना तैयारी के लिए सहायक है। इसके अतिरिक्त, 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सभी परियोजनाओं पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) चरण में ही नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) के माध्यम से परामर्श किया जाता है, जिसमें नीति आयोग सहित सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व होता है, तथा एनपीजी के परामर्श को उपयुक्त रूप से शामिल किया जाता है।

(ग) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए बजटीय आवंटन 2,90,245 करोड़ रूपये है।

(घ) वर्तमान में, देश में मुख्य भू-भाग के तटीय क्षेत्र तक सुगमता और संपर्कता में सुधार के लिए 65,111 करोड़ रुपये की लागत की 1,025 किलोमीटर लंबाई की 27 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिन्हें वित्त वर्ष 2026-27 तक चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा।

(ङ) अवसंरचना क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक है और तीव्र आर्थिक वृद्धि एवं विकास में योगदान देता है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास का कार्य शुरू किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ लगभग 40-60 किलोमीटर के अंतराल पर क्षमता वृद्धि और मार्गस्थ सुविधाओं का विकास शामिल है, ताकि गुजरात राज्य सहित मुख्य भू-भाग के तटीय क्षेत्रों तक सुगमता और संपर्कता में सुधार हो सके, जिससे पत्तनों और औद्योगिक क्लस्टरों से माल और यात्रियों की आवाजाही के लिए परिवहन लागत और समय में कमी आ सके और व्यापार और लॉजिस्टिक्स दक्षता की वृद्धि के साथ तटीय पर्यटन को बढ़ावा मिले।

अनुबंध

'तटीय राजमार्ग' के संबंध में श्री परषोत्तमभाई रुपाला द्वारा दिनांक 03.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5444 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

मुख्य भू-भाग के तटीय क्षेत्र तक सुगमता और संपर्कता में सुधार के लिए गुजरात राज्य सहित देश भर में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा: -

क्रम सं.	**राज्य**	**संख्या**	**लंबाई (किमी में)**	**लागत (करोड़ रू में)**
1	आंध्र प्रदेश	2	90	1,128
2	गोवा	1	71	952
3	गुजरात	2	110	1,298
4	केरल	16	522	52,575
5	महाराष्ट्र	3	104	3,782
6	तमिलनाडु	3	128	5,376

*****